	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/7/24	पत्रावली पेश। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक- 26/09/2024 को पेश हो।	
26/9/24	पत्रावली पेश। पूर्व आदेशानुसार कार्यवाही। पालना हेतु पत्रावली दिनांक:- 28-11-24 को पेश हो।	
28/11/24	पत्रावली पेश। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक- 10/01/2025 को पेश हो।	
10/1/25	पत्रावली पेश। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक- 7/3/2025 को पेश हो।	
7/3/25	पत्रावली पेश। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक- 19/5/25 को पेश हो।	
19/5/25	पत्रावली पेश। वास्ते बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक- 28/5/25 को पेश हो।	
28/5/25	पत्रावली पेश। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने कथन किया की प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख० स० 520 व 521 वाके ग्राम भीमगंज पर अप्रार्थीगण जबरदस्ती छपरा बनाने व खेड़िया डालने पर आमादा होते है, व प्रार्थीगण के खाते की भूमि के सहारे खेत चारु पर खेड़ी डालते रहते है, उनको कई बार मना करने पर नहीं मानते व लड़ाई	

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(निमय 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम हिण्डोली

किस्म मुकदमा..नं........................सन्..................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रयोग पर आमादा रहते हुए। अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की भूमि पर छप्पर बनाने/खेड़ी डालने/ कब्जे काश्त में दखलंदाजी व प्रार्थीगण को बेदखल करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। उन्हें प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे उक्त कृत्य नहीं करने हेतु पाबन्द किया जावे। हमने बहस वकील प्रार्थीगण पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। विवादित भूमि खाता स० 169 ख० न० 520 व 521, 985/484 ग्राम भीमगंज प०म० पेच की बावड़ी जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 में प्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज है। विवादित भूमि खाता स० 169 ग्राम भीमगंज मे स्थित होकर प्रार्थीगण के खाते में दर्ज रिकॉर्ड होने से व उस पर अन्य किसी को हस्तक्षेप करने का हक व अधिकार नहीं होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। विवादित भूमियो के प्रार्थीगण स्वामी खातेदार होने व उन पर काबिज काश्त होकर उपज प्राप्त करने व अन्य कृषि कार्य करने से सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के हक में है। विवादित भूमि ख० न० 520 व 521 वाके ग्राम भीमगंज प०म० पेच की बावड़ी	

(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
के किसी भी भू-भाग पर अप्रार्थीगण द्वारा कब्जा करने, प्रार्थीगण को बेदखल करने व भूमि पर काश्त में बाधा उत्पन्न करने से प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति की संभावना बनी हुई है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित भूमि खाता सं. 169 के ख.सं. ५२० रकबा 0.3076 हे. व ख.नं. ५२१ रकबा 0.2590 हे. वाके ग्राम भीमगंज प.म. पेच की बावडी के किसी भी भू भाग पर कब्जा नहीं करें, प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें व प्रार्थीगण को काश्त करने में बाधा उत्पन्न नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर शामिल दफ्तर हो। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	